



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2011/फाल्गुन 25, 1932

No. 139]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2011/PHALGUNA 25, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

(Department of Health and Family Welfare)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2011

New Delhi, the 16th March, 2011

सां.का.नि. 218(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि निम्नलिखित औषधों से मानव के लिए कुछ खतरे होने की सम्भावना है और जबकि उपर्युक्त औषधों के लिए अधिक सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं;

G.S.R. 218(E).—Whereas the Central Government is satisfied that use of the following drugs is likely to involve certain risks to human beings and whereas safer alternatives to the said drugs are available;

और जबकि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि यह उक्त औषधों के विनिर्माण, बिक्री और संचितरण पर जनहित में प्रतिबंध लगाना आवश्यक और समीचीन है;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient to prohibit the manufacture, sale and distribution of the said drugs in public interest;

अतः अब, औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित औषधों के विनिर्माण, बिक्री और संचितरण पर प्रतिबंध लगाती है, नामतः :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby prohibits the manufacture, sale and distribution of the following drugs with immediate effect, namely :—

- (i) मुख और इंजेक्शन सहित किसी भी मार्ग से मानव में क्रमबद्ध उपयोग हेतु गैटिफ्लोक्सासिन फार्मूलेशन; और
- (ii) मानव के इस्तेमाल के लिए टीगेसेरोड एवं इसके फार्मूलेशन ।

- (i) Gatifloxacin formulation for systemic use in human by any route including oral and injectable; and

- (ii) Tegaserod and its formulations for human use.

[फा. सं. एक्स. 11014/1/2011-डी एफ क्यू सी]

[F.No. X. 11014/1/2011-DFQC]

डॉ. अरुण कुमार पण्डा, संयुक्त सचिव

Dr. ARUN KUMAR PANDA, Jt. Secy.